दिनांक–29.09.2010 को विकास आयुक्त के कार्यालय–कक्ष में आहूत बिहार कौशल विकास मिशन के कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही

3695
1/10/10

उपस्थिति (संलग्न विवरणी के अनुसार)

कार्यवाही

अभिवादन के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

अध्यक्ष द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन के उद्देश्यों को विस्तार पूर्वक बताया गया । बैठक में निर्णय लिया गया कि :–

1. सभी विभाग यथा–मानव संसाधन विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,ग्रामीण विकास विभाग,ऊर्जा विभाग,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वित्त विभाग, उद्योग विभाग,कृषि विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,नगर विकास एवं आवास विकास विभाग,समाज कल्याण विभाग, श्रम संसाधन विभाग,पर्यटन विभाग,पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग तथा पंचायती राज विभाग जो ज्ञान एवं कौशल विकास सेक्टर से संबंधित है, जिनके यहाँ कौशल विकास की सम्भावनायें हैं वे तीन वर्षो का कार्यक्रम तैयार कर 15 .11. 2010 तक निम्नलिखित प्रपत्र में निश्चित रुप से बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग को उपलब्ध करावेंगे :

क्रमांक	प्रशिक्षण कार्यक्रम	वर्त्तमान प्रशिक्षण क्षमता	अगामी तीन वर्षो के लिए प्रशिक्षण का लक्ष्य	आवश्यक संसाधन यदि आवश्यक हो	राशि का आक्कलन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

2. प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि उपलब्ध संसाधनों को Re-orient करते हुए किस प्रकार अधिकाधिक कुशल श्रमशक्ति तैयार किया जा सकता है ।

3. प्रत्येक विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि तैयार कुशल श्रमशक्ति को दूसरे विभागों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ किस प्रकार जोड़ा जा सके।

4. मानव संसाधन विकास विभाग इस संबंध में अपना सुझाव देगा कि उसके नियंत्रणाधीन स्कूलों /कॉलेजो के भवनों को अन्य प्रशिक्षणों के लिए किस प्रकार अधिकाधिक उपयोग में लाया जा सकता है एवं कौशल विकास के क्षेत्र में यू0जी0सी0 से क्या मदद ली जा सकती है । अधिकांश स्कूलों /विश्वविद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा एवं रोजगारोपरक विषयों की पढ़ाई की जा रही है। उनकी प्रशिक्षण क्षमता में कैसे वृद्धि की जा सकती है, विभाग इसका भी प्रस्ताव तैयार करें साथ ही गैर सरकारी विद्यालयों /कॉलेजों के संसाधनों के प्रशिक्षण हेतु उपयोग पर भी विभाग विचार करें ।

5. श्रम संसाधन विभाग अपने नियत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर अधिकाधिक कुशल श्रमशक्ति तैयार करने हेतु प्रस्ताव दें । निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के संसाधनों के उपयोग पर विचार किया जाए ।

6. विदेशों में मॉग के अनुरुप श्रमशक्ति तैयार करने के लिए विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम तैयार किये जाने की आवश्यकता है। उक्त के अनुरुप पाठ्यक्रम में बदलाव /तैयार किया जाए । इसके लिए आवश्यक हो तो विशेषज्ञों की मदद भी ली जाएगी ।

7. पर्यटन के क्षेत्र में कौशल विकास की असीम सम्भावनायें हैं। अतएव पर्यटन विभाग कौशल विकास हेतु प्रस्ताव तैयार करें । साथ ही प्रधान सचिव, पर्यटन विकास विभाग को भी कार्य–कारिणी की बैठक में बुलाया जाए।

3673
1/10/10

8. सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा **बिहार नॉलेज सेन्टर** की स्थापना की जा रही है, जिसके माध्यम से उक्त विभाग द्वारा अधिकाधिक कुशल श्रमशक्ति तैयार किया जायेगा ।

9. राज्य में स्कील मैपिंग की आवश्यकता पर बल दिया गया । प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा इस संबंध में अध्ययन का कार्य आई0आई0पी0ए0, नई दिल्ली को सौंपा गया है । अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समिति के समक्ष लाया जायगा ।

10. निम्नलिखित विभागों में कुशल श्रमशक्ति तैयार करने की क्षमता है। अतः इन विभागों के प्रधान सचिव /सचिव को भी कार्यकारिणी समिति में विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल किया जाए ।

- पर्यटन विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- योजना एवं विकास विभाग
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
- कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग
- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग
- उर्जा विभाग
- पंचायती राज विभाग
- भवन निर्माण विभाग

11. उद्योग विभाग स्वरोजगार की सम्भावनाओं पर अपना प्रतिवेदन दें तथा अपने विभाग में किस प्रकार कौशल विकास अधिकाधिक किया जा सके, इसका भी प्रस्ताव दें ।

12. कृषि विभाग में कौशल विकास की सम्भावनायें अधिक है। अतः विभाग अपना विस्तृत प्रस्ताव दें।

13. वर्ष 2022 तक भारत सरकार के निर्धारित लक्ष्य 5000.00 लाख कुशल मानव शक्ति को तैयार करने हेतु सरकारी विभागों के अलावा गैर सरकारी संस्थाओं/प्रतिष्ठानों को भी निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाय ।

14. बिहार कौशल विकास मिशन जो स्वायत शासी संस्था के रुप में गठित किया गया है । मिशन के कार्यो को सुचारु रुप से संचालित करने लिए प्रारंभिक स्तर पर निम्नलिखित पदों को संविदा पर उनके सामने अंकित वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति हेतु सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया ।

कमांक	पदनाम	वेतनमान(रू0)	पदों की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1.	मिशन निदेशक	40000=00	01	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इन्जिनियरिंग में स्नातक डिग्री अथवा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री। साथ में रिसर्च अथवा कौशल विकास के क्षेत्र में पॉच वर्षों का अनुभव
2.	अपर मिशन निदेशक	30000=00	01	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इन्जिनियरिंग में स्नातक डिग्री अथवा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री।साथ में रिसर्च अथवा कौशल विकास के क्षेत्र में दो वर्षों का अनुभव
3.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	6341=00	02	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा अथवा समकक्ष तथा अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट का ज्ञान
4.	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	5000=00	02	मैट्रिक पास ।

सभी विभागों से कौशल विकास की सम्भावनायें संबंधी कार्यकम प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यकारिणी की अगली बैठक की तिथि दिनांक– 15.11.10 के बाद निर्धारित की जायेगी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

मिशन निदेशक बिहार कौशल विकास मिशन	01/11/10 प्रधान सचिव–सह– उपाध्यक्ष बिहार कौशल विकास मिशन	1.X.10 विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष बिहार कौशल विकास मिशन